# राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 702वी बैठक दिनांक 28.01.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 702वी बैठक दिनांक 28.01.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

| क्र. | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8721/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 2. | 8713/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 3. | 8727/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 4. | 8616/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 5. | 8707/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम खनन | Additional ToR | Additional ToR |
| 6. | 8708/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम खनन | Additional ToR | Additional ToR |
| 7. | 8726/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | Additional ToR | Additional ToR |
| 8. | 8731/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | Additional ToR | Additional ToR |
| 9. | 8710/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | Additional ToR | Conditonal ToR |
| 10. | 8803/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 11. | 8821/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 12. | 8806/2021 | 1 (a) | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | निरस्त |
| 13. | 8518/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | सशर्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 14. | 8768/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | नवीन आवेदन दें |
| 15. | 6393/2019 | 1 (a) B-2 | सिन्थेटिक आर्गनिक कैमिकल | Delist | Delist |
| 16. | 6998/2020 | 1 (a) B-1 | पायरोफायलाईट एवं डायस्पोर | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 17. | 8864/2021 | 1 (a) B-1 | स्टोन खनन | ToR | ToR |
| 18. | 8863/2021 | 1 (a) B-2 | स्टील वायर ड्राइंग | नियमितीकरण | भारत सरकार से मार्गदर्शन |
| 19. | 8860/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 20. | 8865/2021 | 1 (a) B-2 | स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |
| 21. | 8859/2021 | 1 (a) B-2 | मुरूम व स्टोन खनन | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति |

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

1. **प्रकरण क्र. 8721/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सरस्वती मिनरल्स, श्री घनश्याम तिवारी, प्रोपराईटर, पेन्ड्रा रोड़, तहसील पेन्ड्रा, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 684/1, ग्राम पमरा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **पामरा** के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल, पानी की उचित व्यवस्था एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम **पामरा** में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ मेसर्स सरस्वती मिनरल्स, श्री घनश्याम तिवारी, प्रोपराईटर, पेन्ड्रा रोड़, तहसील पेन्ड्रा, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 684/1, ग्राम पमरा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्रं. 1472 दिनांक 30.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

**2. प्रकरण क्र. 8713/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील जाट आत्मज श्री रामकिशोर जाट, मकान नं 69, ग्राम सोनतलई, तहसील व जिला हरदा (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7205 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.251 हेक्टेयर, खसरा 88/6, ग्राम बांगरूल, तहसील हंडिया, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला हरदा के पत्र क्र 2590 दिनांक 12.02.2020 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान भी होना परिलक्षित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः प्रकरण में खनिज अधिकारी, हरदा से प्रस्तावित खदान से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी यथाशीघ्र प्राप्त किया जाये जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

**3. प्रकरण क्र. 8727/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री नीलेश राय आत्मज श्री नाथूराम राय, सदर बाजार, तहसील –जिला सागर, (म.प्र.) 470002 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5275 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 23,24, ग्राम– नरवानी तह0 एवं जिला – सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :—

- ग्राम **नरवानी** के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल, पानी की उचित व्यवस्था एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम **नरवानी** में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ श्री नीलेश राय आत्मज श्री नाथूराम राय, सदर बाजार, तहसील –जिला सागर, (म.प्र.) 470002 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5275 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 23,24, ग्राम– नरवानी तह0 एवं जिला – सागर (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर पत्र क्रं. 873 दिनांक 01.06.2019 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2029 तक वैध मान्य रहेगी।

**4. प्रकरण क्र. 8616/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स माधव इन्फ्रा. प्रोजेक्ट अधिकृति ब्यक्ति श्री दिवाकर पाई, माधव नगर प्लाट न. 4, पंचरतन बिलिंग के पास सुमनपुरा जिला वड़ोदरा गुजरात – 390023 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.868 हेक्टेयर, खसरा 136/3, 136/17, 156 ग्राम– खामखेड़ा तह0 आरोन ,जिला – गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **पक्की सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम ~~तीन वर्षों~~ वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 4800 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, घिरवर आंवला, अनार, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, चिरोल, तुलसी, आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जाये तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम **खामखेड़ा** स्थित शासकीय स्कूल एवं पंचायत भवन बाउड्रीवाल में 02 सोलर लाईट की व्यवस्था समस्त फिट्रिग के साथ किया जाये।
- ग्राम **खामखेड़ा** के शासकीय स्कूल की मरंम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम **खामखेड़ा** में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ मेसर्स माधव इन्फ्रा. प्रोजेक्ट अधिकृति ब्यक्ति श्री दिवाकर पाई, माधव नगर प्लाट न. 4, पंचरतन बिलिंग के पास सुमनपुरा जिला वड़ोदरा गुजरात – 390023 द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.868 हेक्टेयर, खसरा 136/3, 136/17, 156 ग्राम– खामखेड़ा तह0 आरोन ,जिला – गुना (म.प्र.) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना का पत्र क्रं. 384 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा 02 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 17.03.2023 तक वैध मान्य रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8707/2021 परियोजना प्रस्तावक, श्रीमती साक्षी सिंह पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी – मकान न. 15 डी.के. कार्टेज फेज –2 ई.–8 अरेरा कालोंनी, जिला – भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 2 (भाग), ग्राम – मस्तीपुरा, तहसील –हुजूर, जिला– भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

6. **प्रकरण क्र. 8708/2021 परियोजना प्रस्तावक, श्री अमर सिंह, आत्मज जीतेन्द्र सिह निवासी – मकान न. 15 डी.के. कार्टेज फेज –2 ई.–8 अरेरा कालोंनी जिला – भोपाल (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30100 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 2 (भाग), ग्राम – मस्तीपुरा, तहसील –हुजूर, जिला– भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 8726/2021 परियोजना प्रस्तावक, श्री संदीप सूद, आत्मज स्वर्गीय. श्री सत्यपाल सूद निवासी – मकान न. 37 रोहितनगर फेज –1, बावड़िया कला, जिला – भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3040 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 267,270 ग्राम – मालीखेड़ी, तहसील –हुजूर, जिला– भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण. में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि मे अन्य खदानों की पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन, उलंघन एवं खदान क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन का स्थल निरीक्षण कराकर वस्तु स्थित से सिया को 15 दिवस मे अवगत कराने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल को पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

8. प्रकरण क्र. 8731/2021 परियोजना प्रस्तावक, श्री राजकुमार जयसवाल, आत्मज . श्री महेश जयसवाल निवासी – लीजा टाकीज चौराहा तहसील एवं जिला – सिहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 401/1, ग्राम – रफिकगंज, तहसील एवं जिला – सिहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

**9. प्रकरण क्र. 8710/2021 परियोजना प्रस्तावक, श्री बालू सिंह चौहान, आत्मज श्री गुलाब सिंह चौहान निवासी – ग्राम जामली, तहसील – बड़ोद, जिला – आगर मालवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11970 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 995, ग्राम – जामली, तहसील – बड़ोद, जिला – आगर मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

**10. प्रकरण क्र. 8803/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पुष्पा बाई राजपूत पत्नी श्री आकाश राजपूत, निवासी , पोस्ट भापेल, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19650 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 16331 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 115/1, ग्राम चकरोड़ा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीक़रण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1900 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चकरोड़ा के सोमला शासकीय स्कूल में कमप्यूटर एवं प्रिंटर प्रदान किया जायेगा।
- ग्राम चकरोड़ा सोमला के शासकीय स्कूल की मरंम्मत एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम चकरोड़ा सोमला में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ श्रीमती पुष्पा बाई राजपूत पत्नी श्री आकाश राजपूत, निवासी– पोस्ट भापेल, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19650 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 16331 घनमीटर

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रतिवर्ष रकबा 2.90 हेक्टेयर, खसरा 115/1, ग्राम चकरोड़ा, तहसील व, जिला सागर (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्र. ~~15011~~ 2008 दिनांक ~~29.10.2021~~ 26.07.21 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक ~~28.10.2031~~ 25.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 8821/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री जालम यादव आत्मज श्री छोटेलाल यादव, निवासी, संतकबीर वार्ड करीला जिला सागर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.70 हेक्टेयर, खसरा क. 01, ग्राम आमोनी, तहसील व, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र में होना परिलक्षित है।

अतः प्रकरण में जिला कलेक्टर, सागर से प्रस्तावित खदान के निकटतम बांध संरचना के जलग्रहण क्षेत्र में होने की वास्तविक स्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट अभिमत सहित जानकारी 10 दिवस में प्राप्त की जाये तद्नुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा सके।

12. प्रकरण क्र. 8806/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री विनय जैन आत्मज श्री पद्मचन्द्र जैन, निवासी- 303 बद्रीविशाल प्लाजा रोड हाईकोर्ट लेन, ग्रिड, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा क. 1244, ग्राम उराहना , तहसील – बामोर, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार प्रस्तावित खदान के निकटतम 02 बांध संरचना होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। जिसे मान्य करने पर न्यूनतम उत्खखन क्षेत्र उपलब्ध न होने कि स्थिति होना परिलक्षित है।

प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त आदेश को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

Validity.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

13. **प्रकरण क्र. 8518/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री महेश पाटीदार आत्मज श्री कैलाश पाटीदार, निवासी , मकान न. 06 एकता ब्लाक चिनार फार्च्यून सिटी होशंगाबाद रोड जिला भोपाल(म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3325 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 151, 152, ग्राम राजीव नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 538वी बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 4800 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोवेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना"

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. **परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व सैक में प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई प्रतिवद्वता अनुसार ओवर वर्डेन एवं अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य पूर्ण करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा आगामी तीन माह में उक्त शर्त का परिपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी से अभिप्रमाणित करवाकर SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।**

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम राजीव नगर के शासकीय मिडिल स्कूल में 01 सोलर सिस्टम (1 के.वी.), 04 एल. इ.डी लाइट, 04 पंखे एवं 01 टेलीवीजन प्रदान किया जायेगा।
- ग्राम राजीव नगर में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ श्री महेश पाटीदार आत्मज श्री कैलाश पाटीदार, निवासी, मकान न. 06 एकता ब्लाक चिनार फार्च्यून सिटी होशंगाबाद रोड जिला भोपाल(म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 3325 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 151, 152, ग्राम राजीव नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के आदेश क्रं. 3044 दिनांक 18.9.2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 17.09.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

**14. प्रकरण क्र. 8768/2021 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीना पटेल पत्नी श्री कुलदीप पटेल, निवासी– प्लाट न. बी/18 कसोधन नगर, मढोताल सोसाइटी गार्डन के सामने जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11400 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2. 20 हेक्टेयर, खसरा क्र. 184 भाग, ग्राम एटाखेड़ा, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति में संशोधन के लिये आवेदन।**

SEAC की 538वीं बैठक दिनांक 06.01.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक को डिया जबलपुर के पत्र क. 135 दिनांक 11.08.2017 द्वारा प्रकरण में पत्थर खदान हेतु पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति जारी की गई थी जिसमें संशोधन कर मुरूम खदान हेतु पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति जारी करने हेतु परिवेश पोर्टल पर फार्म –4 के माध्यम से आवेदन किया है जिसे प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से अमान्य करते हुये उक्त प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गया एवं नवीन आवेदन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **Case No. 6393/2019** : Prior Environment Clearance for Manufacturing of Synthetic Organic Chemicals at Plot No. 108B, 190, Meghnagar Industrial Area, Dist. Jhabua, MP Land area – 12519 sq. m. Propsed Capacity: 8000 MTPA by M/s Panoli Intermediates (India) Pvt. Ltd, F-108, Mohta Building, 4, Bhikhaji Kama Place, New Delhi - 110066, Email - hastingrajguru2018@gmail.com, Telephone - 011-26196368

**The case was discussed in the 539th SEAC meeting dtd. 06.01.2022 and recorded that:-**

*The case was presented by PP and their consultant in the 392nd SEAC meeting dated 29/08/2019 wherein committee deliberated that the existing dye & dyes intermediate industries in Meghnagar IA are unable to manage the wastes properly and situation in Meghnagar IA is critical. PP stated that the proposed manufacturing of dye & dyes intermediate will be based on hydrogenation based technique avoiding generation of iron sludge considering the current situation in Meghnagar I.A.*

*Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 425th SEAC dated 26/02/2021 wherein ToR was recommended.*

*PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.*

*The case was scheduled for the presentation in 526th date 11/11/21 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation.*

*The case was scheduled again for presentation but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. PP was also absent in the 534th SEAC meeting dated 15/12/21 & 526th SEAC meeting date 11/11/21. Committee decided to give last chance to PP for making presentation in the subsequent meetings of SEAC after which the case shall be returned to SEIAA assuming that PP is not interested to continue with the project.*

**In view of above, today the case was discussed in detail and decided that two opportunities have been given to project proponent to present the case however, after instruction of the SEAC committee PP has not shown any interest to present the case till now. Hence the authority decided to delist the case. PP should be informed accordingly.**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**16. प्रकरण क्र. 6998/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खजुराहो मिनरल्स, प्रा. लि. श्री अजय पाल सिह परमार आत्मज श्री मंगल सिंह परमार, प्रोपराईटर, 10 सिविल लाईन, छतरपुर जिला छतरपुर (प्र.म.) द्वारा पायरोफिलाईट एवं डायोस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पायरोफिलाईट 43113 टन प्रतिवर्ष एवं डायोस्पोर 12576 टन प्रतिवर्ष रकबा 12.00 हेक्टेयर, आर. एफ न. 262, ग्राम माचीगढ, तहसील –जतारा जिला –टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट (A. Pre Mining Phase, B. Mining Operational Phase & C. Entire Life of the project) एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर एवं उपरोक्तानुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–**

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) टीकमगढ़ के एकल प्रमाण पत्र क्र. 2384 दिनांक 08.11.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बांहर है।
2. **लीज संबंधी विवरण** – उक्त लीज कम्पार्टमेन्ट नं. आर.एफ–260 के अंदर स्थित है जिसकी वन स्वीकृति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पत्र क्र. 6-MPC028/2019-BHO/376 दिनांक 11.05.2020 से प्रदान की गई है।

   म.प्र. खनिज साधन विभाग, भोपाल के पत्र क्र. एफ–3–26/2018/12/1 दिनांक 04.07.2018 के माध्यम से 30 वर्ष तक के लिये खदान स्वीकृत की गई है।
3. **जल आपूर्ति** –परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 09 किलो लीटर प्रतिदिन है (2.5 केएलडी पीने/घरेलू कार्य + 2.5 केएलडी हरित पट्टी विकास + 04 केएलडी धूल धमन हेतु), जिसकी पूर्ति मौजूदा खदान गढ्डे एवं नजदीकी ग्राम पंचायत की स्वीकृति से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य**–परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 18000 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, पास के तालाब, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई** –उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 07.04.2021 को शा.मा.शा. परिसर वैदपुर तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़ में अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

**उक्त परियोजना क्षेत्र के परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा प्राधिकरण सदस्यों की प्रेक्षाओं का समाधान किया गया।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना लीज क्षेत्र के चारो ओर की जाये।

VI. क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के पर्यावरण प्रबंधन हेतु संबंधित समस्त पट्टा धारकों के साथ समन्वय कर क्लस्टर प्रभावी क्षेत्र में नियमित रूप से शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 18000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 11.05.2020 को वन क्षेत्र में खनन हेतु अनापत्ति प्राप्त की गई। इस अनापत्ति के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के दिशा निर्देश एवं समन्वय के साथ जिला छतरपुर, तहसील बक्सवाहा, ग्राम कसेरा के खसरा नम्बर 13/1 (गैर वन क्षेत्र) रकबा 12 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण शर्त का परिपालन अनिवार्यतः किया जायेगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- चरनोई क्षेत्र विकास के तहत 6 हेक्टयर में चरागाह विकसित करने हेतु वन मंडलाधिकारी के परामर्श से वास्तविक लागत अनुसार प्रति हेक्टेयर राशि रू. 10000 मान से कुल राशि रू. 60000 वन विभाग मे जमा किया जायें ।
- आधारभूत संरचना विकास के तहत वैधपुर से ह्रदयनगर की पहुच सड़क का निर्माण एवं ग्राम वैदपुर में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 में 02 बोरबेल की व्यवस्था हैण्ड पम्प सहित की जायें ।
- ग्राम वैदपुर में बच्चो के लिये खेल मैदान एवं पार्क 04 झूले , 05 बेंच एवं पैदल मार्ग के साथ निर्माण किया जायें।
- एवं अन्य कार्य सैक मे प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतिवद्वता अनुसार किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ मेसर्स खजुराहो मिनरल्स, प्रा. लि. श्री अजय पाल सिह परमार आत्मज श्री मंगल सिंह परमार, प्रोपराईटर, 10 सिविल लाईन छतरपुर जिला छतरपुर (प्र.म.) द्वारा पायरोफिलाईट एवं डायोस्पोर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पायरोफिलाईट 43113 टन पर ऐनम, एवं डायोस्पोर 12576 टन पर ऐनम रकबा 12.00 हेक्टेयर, आर. एफ न. 262, ग्राम माचीगढ, तहसील –जतारा जिला –टीकमगढ़ (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। म.प्र. खनिज साधन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रं. 3–26/2018/12/1 दिनांक 04.07.2018 के अनुसार उक्त खदान को 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03.07.2048 तक वैध मान्य रहेगी।

17. प्रकरण क्र. 8864/2021 परियोजना प्रस्तावक, मेसर्स बजरंग ग्रेनाइट स्टोन वर्क्स अधिकृत व्यक्ति श्री भूपेन्द्र प्रजापति, निवासी – ग्राम घटाहरी तहसील – गौरिहार जिला – छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 70723 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा 463/2/2 ग्राम – घटाहरी तहसील –गौरिहार जिला – छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अतिरिक्त ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan..

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

18. **Case No 8863/2021** M/s Tata Steel Limited, Head Manufacturing LR PC and Product Factory Manager, Plot No. 158, 158A, Sector-III, Industrial Area, Pithampur, Tehsil & Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Regularization of existing production facilities for production of Steel Wires (101400 TPA) at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area, Pithampur, Dist. Dhar (MP)

**The case was discussed in 539th SEAC meeting dtd. 07.01.2022 and recorded that:**

- *M/s. TATA Steel Limited - Wire Division" Pithampur MP plant started its operations in 2006, its old unit named as Indore Wire Company, acquired by Tata Steel Ltd. PWP as on 2021 is one of the well-established manufacturing unit for GWI from operational,*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*market & financial perspective. PWP has become hub for infrastructure segment. Produces all wires of infra family like LRPC strand, single LR, PCSR etc. and is largest plant by capacity owned by GWI.*

- *The proposal is for a Regularization of production facilities for steel wires of capacity 101400 TPA located at Plot No. 158 & 158A, Industrial Area Pithampur, District: Dhar (MP) - 454775.*
- *This is a proposal for seeking Environmental clearance for regularization of existing production facilities as per Order dated 12th February, 2020 of Hon'ble NGT in O.A. No. 55/2019 (WZ) in the matter of Gajubha Jesar Jadeja vs Union of India & Ors.*
- *The Company has valid CTO available from MPPCB with CONSENT No.- AW-54810 Dtd. 08-12-2021 with validity till 30.11.2022.*
- *The production capacity as well as size of the project remains unchanged as per CTO and application for proposed environment clearance will be as per existing CTO Capacities. In addition, land area also remains unchanged.*
- *M/s. Tata Steels Limited has made an application online vide proposal no. SIA/MP/MMIS/68637/2021 dated16/12/2021 along with the application in prescribed format (Form-I), copy of pre-feasibility report and proposed ToRs for undertaking detailed EIA study as per the EIA Notification, 2006 for the project mentioned above. The proposed project activity is listed at S.No.3(a) Metallurgical industries under Category"B1" of the schedule of the EIA Notification,2006 and being appraised at MP SEAC.*
- *The Land is already diverted for industrial use. The existing total project area is 8.11 Ha., out of which built up plinth area of the plant inside plot 158 & plot 158A is 2.19 Ha., greenbelt area is 1.36 Ha., Road & Paved area is 0.71 Ha. and Open area is 3.85. The land is already owned by the Tata Steel Ltd. There will be no change in land use.*
- *This is existing operative plant for which environmental consent is available with Consent No.AW-52440 dated 13.11.2021. It has been approved in CAC meeting. M/s. Tata Steel Ltd. is now seeking for regularization of existing production facilities as per NGT Order. The production capacity as well as size of the project remains the same. Thus, There will be no change in land area as well as production capacity.*
- *As per EIA notification 2006 and subsequent amendment thereof the project is categorized as Category "B1"; as per latest CTO issued the project fall under secondary metallurgical activities which is covered under 3(a) Metallurgical industries (ferrous & non-ferrous).*

*Committee after deliberations observed that as per Hon'ble NGT order O.A. No. 55/2019 (WZ) , dated 12th February, 2020 wherein one year window period was given for the regularization of existing production facilities i.e. upto 11th February 2021. Whereas PP has applied for the regularization of EC on 22.10.2021. So it was observed that PP has not submitted/applied their application within time frame given by Hon'ble NGT order. In this context it has also been observed that so far MoEF&CC has not issued any O.M. in this regard.*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

*Committee also observed during presentation that PP has applied production of Steel Wires (101400 TPA) Thus Committee observed that production of Steel Wires does not fall under Category 3(a) "Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)". This project cannot be appraised according to direction MoEF&CC, EIA notification 2006.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | ***Materials Production*** | | |
| *3(a)* | *Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)* | *a) Primary metallurgical industry All projects*<br><br>*b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD*<br><br>*c) Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum* | *Sponge iron manufacturing 5000 tonnes/annum*<br><br>*Secondary metallurgical processing industry*<br><br>*All toxic and heavy metal producing units*<br><br>*5000 tonnes/annum* | ***"General condition shall apply.*** *Note:*<br><br>***(i)*** *The recycling industrial units registered under the HSM Rules, are exempted.*<br><br>***(ii)*** *In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electrical arc furnace, submerged arc furnace, and cupola with capacity more than 30,000 tonnes per annum (TPA) would require environmental clearance.*<br><br>***(iii)*** *Plant / units other than power plants (given against entry no. 1(d) of the schedule), based on municipal solid waste (nonhazardous) are exempted."* |

*Thus in this above context SEIAA may seek clarification from MoEF&CC whether this type of activity is required Prior EC or not and if required then mentioned, fall in which category. Hence committee has decided file is return back to SEIAA for further necessary action.*

**In view of above the, matter was discussed by SEIAA and it is decided to seek clarification from MoEF&CC, GoI, whether this activity of steel wire drawing can be considered as secondary metallurgical process and also the time period upto which date such cases can be considered in view of the time limit prescribed by the Hon'ble NGT. The copy of the letter may be endorsed to Project Proponent, MPPCB & SEAC.**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**19. प्रकरण क्र. 8860/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री प्रभुनाथ सिह, निवासी– ग्राम सुजालपुर तह. – जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17796 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 277/19 ग्राम जबरदी, तहसील पचोर, जिला राजगढ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **दोनों कच्ची सड़क एवं प्राकृतिक नाले से प्रस्तावित खदान क्षेत्र की सीमा तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **जबरदी** के शासकीय मिडिल स्कूल में खेल मैददान का समतलीकरण एवं 01 फिसलपटटी लगाई जाये।
- ग्राम जबरदी में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ श्री राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री प्रभुनाथ सिह, निवासी , ग्राम सुजालपुर तह. – जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 17796 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 277/19 ग्राम जबरदी, तहसील पचोर, जिला राजगढ (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ के आदेश क्रं. 695 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.07.2031 तक वैध मान्य रहेगी।**

**20. प्रकरण क्र. 8865/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, निवासी, 25 जूनी इन्दौर रेलवेलाइन, धरमकाटा रोड जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 98 ग्राम सिंगोट, तहसील – जिला खण्डवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं माननीय एनजीटी (Principle Bench) नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में **नदी से प्रस्तावित खदान क्षेत्र तक न्यूनतम 200 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1500 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ,. गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम **सिंगोट** के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल, पानी की उचित व्यवस्था एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम **सिंगोट** में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, निवासी, 25 जूनी इन्दौर रेलवेलाइन, धरमकाटा रोड जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9975 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 98 ग्राम सिंगोट, तहसील – जिला खण्डवा (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के आदेश क्रं. 170 दिनांक 21.05.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.05.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

**21. प्रकरण क्र. 8859/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स चेतक स्टोन केसर प्रोप.श्री संदीप सिह , निवासी आत्मज श्री विक्रम सिह, निवासी कोटाबुजुर्ग तह. गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरूम (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा एवं मुरूम 5852 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 256 मिनट–2 ग्राम कोटाबुजुर्ग तह. गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं SEAC की 539वी बैठक दिनांक 07.01.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

II. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना की जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटंग बांस, अमलतास, नींबू, पपीता, मुनगा करोंदा, सीताफल, जंगल जलेबी, गिलोय, तुलसी, एलोबेरा आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड एवं मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम कोटाबुजुर्ग के शासकीय स्कूल की बाउड्रीवाल, पानी की उचित व्यवस्था एवं रंग रोगन का कार्य किया जायेगा।
- ग्राम कोटाबुजुर्ग में ग्रामवासियों को सौर लालटेन एवं कूड़ादान का वितरण किया जावे।

**साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।**

**परियोजना प्रस्तावक ~~परियोजना प्रस्तावक~~ मेसर्स चेतक स्टोन केशर प्रोप.श्री संदीप सिह, निवासी आत्मज श्री विकम सिह, निवासी कोटाबुजुर्ग तह. गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा एवं मुरूम 5852 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 256 मिनट–2 ग्राम कोटाबुजुर्ग तह. गरोठ जिला मंदसौर (म.प्र.) की उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रं. 1620 दिनांक 23.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22.07.2031 तक वैध रहेगी।**

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

## गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
4. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्रं में वापस भरा जाएगा।
10. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
16. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
17. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

---

परिशिष्ट–2

## गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
4. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धधता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर–खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
8. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू–आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
13. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
20. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

---

परिशिष्ट–3

## गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निंगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
3. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावकं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
8. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

11. परियोजना प्रस्तावंक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी—एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

14. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

15. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

---

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष